**उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नांदेड येथील ९३ अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**
**सार्वजनिक आरोग्य विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.६१/आरोग्य-४**
१० वा मजला, संकुल इमारत,
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१.
तारीख: २२ मार्च, २०१९.

वाचा

1) **शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.९१/आरोग्य-४, दि.१.११.२०१८.**
2) **सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-१२/लातुरमंडळलातूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/१०९५-९६/१९, दि.२३.०१.२०१९.**
3) **शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक., दि.२१.०२.२०१९.**

**शासन निर्णय**

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नांदेड येथील ९३ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.१.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती.

२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नांदेड येथील यासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या ९३ अस्थायी पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

1) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे.
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.
3) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील.

सदर पदांवरील खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व

दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)" या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२१३३३४४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Pradip M Balkavde

Digitally signed by Pradip M Balkavde
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=8db6aab31faca2f1a89698a28c94703436c07cda664672d20607766dc59d345b, serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68d63f, cn=Pradip M Balkavde
Date: 2019.03.22 12:05:00 +05'30'

**(प्र.मो.बलकवडे)**
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर ), मुंबई.
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे.
५. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे.
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर.
७. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर.
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नांदेड
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड
१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नांदेड
११. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई.
१२. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई.
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४ ).

विवरण पत्र -अ

अस्थायी पदे दि.०१.०३.१९ ते २८.०२.२० या कालावधीसाठी पुढे चालु ठेवण्याचा प्रस्ताव

कार्यालय - जिल्हा रुग्णालय नांदेड जि.नांदेड

| अ.क्र. | तात्पुरती पदे/पदनाम ज्या शासन निर्णयाने निर्माण केली त्याचा शा.नि.क्र. दिनांक | पदनाम | पद संख्या | वेतनश्रेणी | ज्या शासकीय आदेशान्वये शेवटी पदे पुढे चालू ठेवली त्याचा शा.नि.क्र.दिनांक | ज्या तारखे पासुन पदे पुढे चालू ठेवावयाची आहेत त्याचा दिनांक | लेखाशिर्ष | पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत आवश्यकता व स्पष्टीकरणे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | शानिक्र डीएचसी/ ३०१०/ प्रक्र १८८/ आरोग्य-३ दिनांक ०२-०२-२०११. | जिल्हा शल्य चिकित्सक वर्ग-१ | ० | १५६००-३९१००-६६०० | शासन निर्णय क्र. अपदे-२०१८/ प्र.क्र. ९१/आरोग्य-४/ दिनांक ०१.११.२०१८ | ०१/०३/२०१९ | लेखाशिर्ष२२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनीक आरोग्य. ०६सार्वजनीक आरोग्य,०१ नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा,१०-रुग्णालये व दवाखानेतर शासकिय रुग्णालये व दवाखाने (२२१००२२६) | १०० खाटाच्या जिल्हा रुग्णालयाकरिता शासनाने शानिक्र डीएचसी/ ३०१०/प्रक्र १८८/ आरोग्य-३ दिनांक ०२-०२-२०११ अन्वये निर्माण केलेली अधिकारी/कर्मचारी यांची ९३ पदे पुढे चालु ठेवणे आवश्यक आहे. |
| २ | | निवासी वैद्यकिय अधिकारी (चिकित्सा) वर्ग-१ | १ | १५६००-३९१००-६६०० | | | | |
| ३ | | निवासी वैद्यकिय अधिकारी (बाहय संपर्क) वर्ग-१ | १ | १५६००-३९१००-६६०० | | | | |
| ४ | | वैद्यकिय अधिकारी (नेत्रचिकित्सा) वर्ग-१ | १ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| | | एकूण | ३ | | | | | |
| ५ | | वैद्यकिय अधिकारी (शस्त्रक्रिया) वर्ग-२ | १ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| ६ | | वैद्यकिय अधिकारी (स्त्रीरोग प्रसूति तज्ञ) वर्ग-२ | १ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| ७ | | वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण तज्ञ) वर्ग-२ | २ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| ८ | | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) वर्ग-२ | १ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| ९ | | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ञ) वर्ग-२ | १ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| १० | | वैद्यकिय अधिकारी (अस्थिव्यंग) वर्ग-२ | १ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| ११ | | वैद्यकिय अधिकारी (नेत्रशल्य चिकित्सा) वर्ग-२ | १ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| १२ | | वैद्यकिय अधिकारी (दंतचिकित्सा) वर्ग-२ | १ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| १३ | | वैद्यकिय अधिकारी (अपघात कक्ष) वर्ग-२ | ४ | ९३००-३४८००- ५४०० | | | | |
| | | एकूण | १३ | | | | | |

कार्यालय - जिल्हा रुग्णालय नांदेड जि.नांदेड

| अ.क्र. | तात्पुरती पदे/पदनाम ज्या शासन निर्णयाने निर्माण केली त्याचा शा.नि.क्र. दिनांक | पदनाम | पद संख्या | वेतनश्रेणी | ज्या शासकीय आदेशान्वये शेवटी पदे पुढे चालू ठेवली त्याचा शा.नि.क्र.दिनांक | ज्या तारखे पासुन पदे पुढे चालू ठेवावयाची आहेत त्याचा दिनांक | लेखाशिर्ष | पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत आवश्यकता व स्पष्टीकरणे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १४ | शानिक्र डीएचसी/ ३०१०/ प्रक्र १८८/ आरोग्य-३ दिनांक ०२-०२-२०११. | वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-३ | १ | ९३००-३४८००- ४४०० | शासन निर्णय क्र. अपदे-२०१८/ प्र.क्र. ९१/आरोग्य-४/ दिनांक ०१.११.२०१८ | ०१/०३/२०१९ | लेखाशिर्ष २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनीक आरोग्य. ०६सार्वजनीक आरोग्य,०१ नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा,१०-रुग्णालये व दवाखानेतर शासकिय रुग्णालये व दवाखाने (२२१००२२६) | १०० खाटाच्या जिल्हा रुग्णालयाकरिता शासनाने शानिक्र डीएचसी/ ३०१०/प्रक्र १८८/ आरोग्य-३ दिनांक ०२-०२-२०११ अन्वये निर्माण केलेली अधिकारी/कर्मचारी यांची ९३ पदे पुढे चालु ठेवणे आवश्यक आहे. |
| १५ | | सहाय्यक अधिसेवीका वर्ग-३ | १ | ९३००-३४८००- ४४०० | | | | |
| १६ | | परिसेवीका वर्ग-३ | ५ | ९३००-३४८००- ४३०० | | | | |
| १७ | | अधिपरिचारीका वर्ग-३ | २७ | ९३००-३४८००-४२०० | | | | |
| १८ | | भौतीकोपचार तज्ञ वर्ग-३ | १ | ९३००-३४८००- ४३०० | | | | |
| १९ | | आहार तज्ञ वर्ग-३ | १ | ९३००-३४८००- ४३०० | | | | |
| २० | | रक्तपेढी तंत्रज्ञ वर्ग-३ | २ | ९३००-३४८००- ४२०० | | | | |
| २१ | | क्षकिरण तंत्रज्ञ वर्ग-३ | २ | ९३००-३४८००- ४२०० | | | | |
| २२ | | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग-३ | २ | ९३००-३४८००- ४२०० | | | | |
| २३ | | ईसीजी तंत्रज्ञ वर्ग-३ | १ | ९३००-३४८००- ४२०० | | | | |
| २४ | | औषध निर्माण अधिकारी वर्ग-३ | ३ | ५२००-२०२००- २८०० | | | | |
| २५ | | प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग-३ | ३ | ५२००-२०२००- २००० | | | | |
| २६ | | भांडारपाल तथा वस्त्रपाल वर्ग-३ | १ | ५२००-२०२००- १९०० | | | | |
| | | **एकूण** | ५० | | | | | |
| २७ | | बाहयरुग्ण सेवक वर्ग-४ | १ | ४४४०-७४४०- १३०० | | | | |
| २८ | | अपघात विभाग सेवक वर्ग-४ | ३ | ४४४०-७४४०- १३०० | | | | |
| २९ | | रक्तपेढी परिचर | १ | ४४४०-७४४०- १६०० | | | | |
| ३० | | शस्त्रक्रियागार परिचर वर्ग-४ | २ | ५२००-२०२००- १८०० | | | | |
| ३१ | | कक्षसेवक वर्ग-४ | १० | ४४४०-७४४०- १३०० | | | | |
| ३२ | | व्रणोपचारक वर्ग-४ | १ | ५२००-२०२००- १८०० | | | | |
| ३३ | | शिपाई वर्ग-४ | २ | ४४४०-७४४०- १३०० | | | | |
| | | **एकूण** | २० | | | | | |
| ३४ | | प्रशासकीय अधिकारी | १ | ९३००-३४८००-४४०० | | | | |
| ३५ | | कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ | १ | ९३००-३४८००-४३०० | | | | |
| ३६ | | वरिष्ठ लिपिक | १ | ५२००-२०२००-२४०० | | | | |
| ३७ | | कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक वर्ग-३ | २ | ५२००-२०२००-१९०० | | | | |
| ३८ | | बाहयरुग्ण लिपिक | २ | ५२००-२०२००-१९०० | | | | |
| | | **एकूण** | ७ | | | | | |
| | | **एकुण पद संख्या** | ९३ | | | | | |